

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीर मौहम्मद बनाम नौसर वगैरह

किस्म गुकदमा-225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
प्रकरण संख्या 332/2025 (नसीराबाद)

332  
18/9/25

श्री सीताराम रावत

श्री नवीन गुर्जर

10.07.2025

पीर मौहम्मद बनाम नौसर वगैरह (2025/302)

यह अपील श्री सीताराम रावत एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 6/2023 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2025 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया।

अभिभाषक श्री नवीन गुर्जर एडवोकेट ने कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। अभिभाषक कैवियटकर्ता को सुनवाई हेतु रजिस्टर्ड एडी नोटिस एवं शेष को साधारण नोटिस जारी किये जावें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर भिसल दिनांक 07.08.2025 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
अजमेर

किस्म नोटिस  
12-1-17  
1448-51  
15/2/25

7/8/25

पत्रावली पेश की गयी। डाकिले डाकिले उपस्थ  
पत्रावली वापते इन्टरजुड नोटिस देणो लं 1-13  
व इन्टरजुड रिपोर्ट दिनांक 18/9/25 को पेश हो

राजस्व अपील प्राधिकारी  
अजमेर

18.9.25

पत्रावली पेश की गई। डाकिले डाकिले अपील  
रुवे डाकिले डाकिले उपस्थ नहीं। डाकिले डाकिले  
रुवे डाकिले डाकिले का करे बार रुक रुक कर  
डाकिले डाकिले डाकिले डाकिले डाकिले डाकिले  
डाकिले डाकिले डाकिले डाकिले डाकिले डाकिले  
की जाती है डाकिले पत्रावली डाकिले डाकिले  
नम्बर ले कर हो

राजस्व अपील प्राधिकारी  
अजमेर



860  
श्री श्रीमालय रावत Adulno  
अपील फस बी बाद न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर  
रिपोर्ट टिकट चशमो

राजस्व अपील प्राधिकारी  
अजमेर  
(10/7/25)

-00-  
अपील संख्या 332 / 2025

-00- [2025 | 332]

पीर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद रसूल उर्फ हुसैन आयु 50 वर्ष जाति  
मुसलमान निवासी ग्राम झडवासा तहसील नसीरावाद जिला अजमेर

अपीलार्थी

### बनाम

1. नौसर पत्नि बिरदीचन्द जाति भांबी निवासी ग्राम गोठियाना  
तहसील सरवाड़ जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, नसीरावाद तहसील  
कार्यालय नसीरावाद जिला अजमेर

रेस्पोंडेन्टगण

3. खैरून पुत्री मोहम्मद रसूल उर्फ हुसैन आयु 60 वर्ष
4. उस्मान पुत्र रहीसा पुत्री मोहम्मद रसूल उर्फ हुसैन
5. नजीर पुत्र रहीसा पुत्री मोहम्मद रसूल उर्फ हुसैन
6. मेहमूदा पुत्र रहीसा पुत्री मोहम्मद रसूल उर्फ हुसैन
7. शकूर पुत्र रहीसा पुत्री मोहम्मद रसूल उर्फ हुसैन
8. सलीम पुत्र रहीसा पुत्री मोहम्मद रसूल उर्फ हुसैन
9. सईदा पुत्री रहीसा पुत्री मोहम्मद रसूल उर्फ हुसैन
10. रेशमा पुत्री रहीसा पुत्री मोहम्मद रसूल उर्फ हुसैन
11. इरफान पुत्र नफीसा पुत्री मोहम्मद रसूल उर्फ हुसैन
12. फिरोज पुत्र नफीसा पुत्री मोहम्मद रसूल उर्फ हुसैन
13. फरजाना पुत्री पुत्री मोहम्मद रसूल उर्फ हुसैन समस्त जातिगण  
मुसलमान निवासी ग्राम झडवासा तहसील नसीरावाद जिला अजमेर

परफोर्मा रेस्पोंडेन्ट

332 2025  
10.7.25

पीर मोहम्मद

14. हनुमान सहाय माछलपुरिया पुत्र रामेश्वरलाल माछलपुरिया जाति  
रेगर निवासी रेगरो का मोहल्ला रामजीपुराकलॉ जयपुर

रेस्पोजेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्त अधिनियम 1955  
विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा  
पारित आदेश दिनांक 22.05.2025 उनवान पीर मोहम्मद  
बनाम नौसर व अन्य प्रकरण संख्या 6/2023 को  
प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया के विरुद्ध अपील  
बाबत

श्रीमानजी,

माननीय न्यायालय से अपीलार्थीगण की ओर निम्न निवेदन है  
कि:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष अपीलार्थी/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया गया के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदनकर्ता/प्रार्थी एवं परफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम झडवासा पटवार हल्का झडवासा भू.अ. नि. झडवासा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर में आस्थित है जिसके वर्तमान जमाबंदी अनुसार हाल खसरा नम्बर 1738 रकबा 0.01 गै.मु. चाह, 1739 रकबा 0.32 चाही 3 भूमि के आवेदनकर्ता वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज है तथा आवेदनकर्ता अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि में हाल खसरा नम्बर 1748, 525/4932 जो की सडक है से होकर हाल खसरा नम्बर 6196/6193 से होकर अपनी खातेदारी में आता जाता है तथा पश्चिम से पूरब दिशा के रूप में आवागमन करते है वजह सबूत वर्तमान आधार जमाबंदी संवत 2069-72 की प्रमाणित प्रतिलिपि व नक्शा ट्रेस संलग्न है एवं वादग्रस्त भूमि जिसके वर्तमान जमाबंदी के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1738 व 1739 के आवेदनकर्ता खातेदार दर्ज हैं तथा आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्शाई हाल खसरा नम्बर 6196/6193 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि है। जिसकी खातेदारी भूमि में से होकर आवागमन

पीर मोहम्मद